कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश
प्लाट नं. 220, प्रथम तल, राजस्व राहत भवन अरेरा हिल्स भोपाल
दूरभाष 0755-2559537, 2559346, 2559347, फैक्स 2550972, 2559345,
ई-मेल prcbhopal@gmail.com, Prirevcom@mp.gov.in

निविदा प्रपत्र

प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा किराये के वाहन लिये जाने हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

मूल्य राशि रू. 3000/-
रूपये तीन हजार मात्र

प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा कार्यालयीन कार्य हेतु किराये के वाहनों के लिये ट्रेवल्स एजेन्सी से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से रू. 3000 (अक्षरी राशि रू. तीन हजार) ऑनलाइन **www. mptenders.gov.in** पर जमा करने के पश्चात् निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। निविदायें दिनांक 06/03/2021 को अपरान्ह 03.00 बजे तक ऑनलाईन जमा कराई जा सकेगी तथा दिनांक 27/03/2021 को तकनीकी बिड एवं दिनांक 30/03/2021 को कमर्शियल बिड उपस्थित निविदकार्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ऑनलाइन निविदा खोली जायेगी। किसी भी निविदा का बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल को होगा।

ऑनलाईन पंजीयन की जानकारी :-

निविदाकार को सर्वप्रथम ऑनलाईन पंजीयन **www. mptenders.gov.in** पोर्टल पर करना होगा जिसकी फीस रू. 500/- (जी.एस.टी. अतिरिक्त) देय होगी जिसके आधार पर निविदाकार प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय की ई-निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है। यह रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है। तथा इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात् निविदाकार मध्यप्रदेश शासन के किसी भी ई-निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
प्रोसेसिंग फीस रू. 250/- (जी.एस.टी. अतिरिक्त) होगी, का भी ई-पैमेंट के द्वारा निविदाकार को भुगतान करना होगा।
निविदाकार वेबसाईट **www. mptenders.gov.in पोर्टल पर लॉग-इन करके** रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस की राशि जमा करके निविदाकार में भाग ले सकेगा। निविदिकार स्वयं यह समाधान कर लें कि व ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है।
निविदा संबंधी तिथिवार विवरण निम्नानुसार है :-

विज्ञप्ति का प्रकाशन एवं निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक	06/03/2021
निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	27/03/2021
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	27/03/2021
तकनीकी बिड खोलने हेतु नियत तिथि	30/03/2021
कमर्शियल बिड खोलने हेतु नियत तिथि	30/03/2021
अमानत राशि	निविदाकार को दो लिफाफा पद्धति के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगी। प्रथम लिफफे में अमानत राशि रूपये 45000/- (पैंतालीस हजार मात्र) की ऑनलाईन भुगतान रसिद एवं निविदाकार की विवरणी रखी जावेगी। दूसरे लिफफे में निविदा दरें (वित्तीय आर्फर) निर्धारित प्रपत्र (B.O.Q) में **ऑनलाईन** अपलोड करना होगा। प्रथमतः निविदाकार का **लिफाफा क्रामंक** 01 खाला जावेगा। निविदा प्रपत्र का मूल **अमानत राशि तथा** निविदा के विवरण के आधार पर निविदाकार द्वारा धारित अर्हता तथा पात्रता का निर्धारण किया जावेगा। उसके उपरांत पात्र पाये गये निविदाकार का "लिफाफा क्रमांक-2" खाला जावेगा। ऐसे निविदाकार जो निविदा की शर्त एवं मापदण्ड का पालन नहीं करते है। उनकी वित्तीय निविदायें (प्रपत्र-1) नहीं खोली जावेगी।
निविदा जमा करने का स्थान	ऑनलाईन ।
निविदा खोलने का स्थल	ऑनलाईन प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल प्लाट नं 220 राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये नियम एवं शर्ते

1. **निविदाकर्ताओं के पते :-**

अनुबंध के लिए एवं अन्य सभी कार्यो हेतु निविदा दस्तावेज में उल्लेखित निविदाकर्ता का पता ही अंतिम माना जावेगा। अगर निविदाकर्ता द्वारा इसमें कोई संशोधन किया जाना है, तो उसे पृथक से पत्र जो कि प्रमुख राजस्व आयुक्त भोपाल को संबोधित हो, तो मुख्यालय की आवक जावक शाखा में प्रस्तुत करना होगा।

2. **धरोहर राशि :-**

राशि रूपये 2,50,000/- (रू. दो लाख पचास हजार मात्र) धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी (एक वर्षो के लिये) के रूप में जो कि प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश के पक्ष में देय होगी को लिफाफा 'ब' में रखकर प्रस्तुत किया जायें। प्रथम एवं द्वितीय सफल निविदाकार को छोडकर शेष अतिरिक्त असफल निविदाकार को धरोहर/प्रतिभूति की राशि निविदा खुलने की दिनांक से सात कार्य दिवस में वापस कर दी जायेगी।

सफल निविदाकार की धरोहर/प्रतिभूति राशि उसके कार्य समाप्त होने के बाद अथवा अनुबंध समाप्त होने के एक माह बाद वापिस कर दी जावेगी।

3. **पात्रता :-**

निविदकर्ताओं को निम्न बिंदुओ की पूर्ति करना अनिवार्य है तथा इनकी पूर्ति होने पर ही वे निविदा भरने की पात्रता की श्रेणी में आएंगे :-

1. निविदाकार का विगत तीन वित्तीय वर्षो में प्रति वर्ष एक करोड़ तक अथवा उससे अधिक का टर्न ओवर होना आवश्यक है। विगत तीन वर्षो के आयकर विवरणी की प्रति निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
2. निविदाकार द्वारा विगत तीन वर्षो के जी.एस.टी/ विवरणी की प्रति भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
3. निविदाकार संस्था का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल में संस्था का पंजीयन आवश्यक होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
4. उन्हीं निविदाकर्ताओं की प्रस्तुत निविदा पर विचार किया जाएगा जिन ट्रेवल्स ऐजेन्सी की स्वंय के 25 वाहन हो, वाहन का रजिस्ट्रेशन बुक, फिटनेस, परमिट, इंसोरेंश सभी वाहनो की छायाप्रति 'अ' के लिफाफा में प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।

4. **निविदा पर हस्ताक्षर करना :-**

निविदा के सभी संबंधित दस्तावेजों में प्रोपराइटर स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि ही हस्ताक्षर कर सकते है। अगर किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो उसको निविदाकार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। यदि निविदाकार फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जाये अगर निविदाकर्ता कंपनी है तो कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्ति के बाबत संकल्प टेण्डर डाक्यूमेंट के साथ संलग्न किया जाए।

5. **तकनीकी बिड :-**

सर्वप्रथम प्रपत्र ''ब'' (धरोहर राशि) का लिफाफा खोला जावेगा उसके पश्चात् प्रपत्र ''अ'' (तकनीकी बिड) का लिफाफा खोला जावेगा दोनों में सफल होने पर ही प्रपत्र ''स'' (वित्तीय बिड) खोली जावेगी।

6. **पेनाल्टी :-**

निविदा एवं अनुबंध की शर्तो के उल्लंघन स्वरूप यदि सेवा प्रदायकर्ता किसी कारण वश वाहन देने पर असमर्थ रहने पर निविदाकार के अतिरिक्त किसी अन्य यदि वाहन की सेवा कार्यालय द्वारा प्राप्त की जाती है तो इन परिस्थितियों में संबंधित वाहन प्रदायकर्ता (सफल निविदाकर्ता) के भुगतानों से, मार्केट के वाहन पर आये व्यय की, दोगुनी राशि अर्थदण्ड के रूप में काटी जावेगी। यह राशि सफल निविदकर्ता द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा निधि से भी काटी जा सकती है।

7. **अधिकार परित्याग :-**

कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त के अधिकारियों/कर्मचारियों के निकट के रिश्तेदार इस टेण्डर में भाग लेने से प्रतिबंधित किए जाते है। निकट के रिश्तेदार निम्नानुसार परिभाषित होंगें :-

11.1 Hindu undivided family के सदस्य

11.2 उनके पति या पत्नि

11.3 एक दूसरे से संबंध- पिता एवं पुत्र, पुत्र की पत्नि (बहू) पुत्री, पुत्री के पति (दामाद) भाई की पत्नि, बहिन एवं बहिन के पति आदि के रूप में परिभाषित होंगे।

8. नियम एवं शर्तो का उल्लंघन :-

निविदा दस्तावेज में उल्लेखित एवं अनुबंध के किसी भी प्रावधान नियम या शर्तो का उल्लंघन होने पर संबंधित निविदाकर्ता को 7 दिवस का नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण/जवाब प्राप्त किया जावेगा। उत्तर समाधानकारक नहीं होने से बिना कोई कारण बताए उक्त सफल निविदाकर्ता का अनुबंध एवं उसे जारी किया गया वर्क आर्डर निरस्त किया जावेगा एवं बैंक गारण्टी के रूप में सुरक्षा निधि संबंधित बैंक से प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के पक्ष में आहरित कर ली जावेगी।

9. भुगतान की प्रक्रिया :-

कोई भी भुगतान सफल निविदाकर्ता को एडवांस नहीं होगा तथा संबंधित निविदाकर्ता प्रत्येक माह का बिल अगले माह के प्रथम सप्ताह में कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे तथा सभी वैधानिक भुगतान माह की 15 तारीख तक रेखांकित देयक के माध्यम से आवश्यक टैक्स कम करते हुए किये जावेंगे। केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित का त्रुटिवश देयक राशि में समायोजित करने से यदि रह जाता है तो उक्त भुगतान का दायित्व सफल निविदाकर्ता का होगा।

10. आरबीट्रेशन :-

अनुबंध के किसी बिन्दु पर कोई विवाद होने की स्थिति में आपसी चर्चा एवं विचार-विमर्श से विवादों का हल किया जाएगा। यदि 15 दिवस के अन्दर कोई हल नहीं निकलता है तो दोनों में से कोई भी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उक्त विवाद पर निर्णय हेतु प्रमुख राजस्व आयुक्त भोपाल को अनुरोध कर सकेगा, जो स्वयं या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति एक मात्र आरबीट्रेटर होंगें तथा उनका निर्णय दोनों पक्षकारों के लि अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

11. अन्य सामान्य शर्ते :-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय को व्यवसायिक परमिट वाले 06 किराये के वाहनों की आवश्यकता है जिन्हें आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है।
2. किराये पर दिए जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2018 से पुराना नहीं होना चाहिए तथा वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और चलने में बहुत अच्छी स्थिति वाले होना चाहिए।
3. जो वाहन डीजल सहित किराये से लिये गये है उन वाहनों में डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फूट बैठरी, टायर-टयूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की ही होगी।
4. जो वाहन डीजल रहित किराये से लिये गये है उन वाहनों में डीजल के अतिरिक्त समस्त जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फूट, ऑयल, बैटरी, टायर-टयूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की ही होगी।
5. वाहन ड्रायवर के पास नियमानुसार वाहन चालन का वैध ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्कयता है।
6. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं व्यवायिक ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यकत होंगे। वाहन टैक्स पेड वाहन प्रदाता के स्वामित्व में रहना उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे वहन करेगा।
7. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता को होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
8. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार वाहन 24 घन्टे के अंदर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी और आने वाले 2 वर्ष के लिए, वाहन की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
9. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉग-बुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉग-बुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. माईलो मीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा।

11. वाहन प्रदायकर्ता को समस्त शासकीय नियमों का पालन करते हुए आवश्यक वाहन चालकों को संलग्न करना होगा। वाहन चालक की कर्तव्य अनुपस्थिति पर वैकल्पिक चालक भेजना आवश्यक होगा। चालक/वैकल्पिक चालक की अनुपस्थिति पर प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय द्वारा राशि रू. 250/- प्रतिदिन के मान से कटोत्रा देयक में से किया जावेगा।
12. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त भोपाल को होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगी।
13. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च, जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वाहन करेगा। यह कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी तथा अन्य वैधानिक पंजीय वाहन चालक हेतु कराना, वाहन स्वामी के लिए अनिवार्य होगा।
14. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार प्रमुख राजस्व आयुक्त भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।
15. उन्हीं की निविदायें मान्य की जायेंगी, जिनके निविदादाता भोपाल में उक्त व्यवसाय करते होंगे।
16. मान्य दरें आगामी एक वर्ष के लिए लागू रहेंगी। अनुबंध की अवधि को प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
17. शासकीय कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स आदि को भुगतान किया जाता है, तो भुगतान की रसीद मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
18. नियमों के अनुसार टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. के कटोत्रे का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा।
19. वाहन 24 घंटे विभाग के अधीन (अधिकारियों के निवास पर) रहेगा एवं वाहन चालक को किसी भी समय कार्य पर उपस्थित होने एवं आवश्यकता होने पर देर तक कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये तैयार रहना होगा।
20. संस्था का वार्षिक टर्नओवर विगत 03 वर्षो का कम से कम 1 करोड होना चाहिए।
21. शासकीय कार्योलयों में कम से कम 15 वाहनों का वर्क ऑडर की छायाप्रति संलग्न करें एवं कम से कम 3 एवं 4 वर्षो का शासकीय कार्योलयों में कार्य करने का अनुभव।
22. आर.टी.ओ. ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
23. कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
24. भोपाल से बाहर जाने की स्थिति में रात्रिकालीन भत्ता रूपये 200/- प्रतिदिन पृथक से देय होगा।
25. वाहन में संलग्न वाहन चालक का डाक्यूमेंट सारे कार्यालय में जमा करना होगा।
26. वाहन चालक के वेश भूषा एवं व्यवहार का पूर्व प्रशिक्षण प्रदायकर्ता द्वारा दिया जाये।
27. अनुबंद्ध के समय एफ.डी की राशि रूपये 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) देना होगा।

6/3/2021

संयुक्त राजस्व आयुक्त
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुकत
मध्यप्रदेश, भोपाल
220, अरेरा हिल्स, भोपाल

किराये के वाहन लिये जाने हेतु प्रपत्र

1	निविदाकर्ता संस्था का नाम	
2	कार्यालयीन पता	
3	दूरभाष कार्यालय	
4	संस्था के संचालक का नाम	
5	पत्र व्यवहार का पता	
6	स्थायी पता	
7	दूरभाष एवं मोबाईल	
8	धरोहर राशि....................	एफ.डी.आर./बैंक गारण्टी नं.. दिनांक.................................... बैंक का नाम .... राशि रूपयें..
9	संस्था के रजिस्ट्रेशन संबंध जानकारी/प्रमाण के दस्तावेज (सत्यापित फोटो कॉपिया संलग्न करें)	
10	संस्था के कुल वाहनों की संख्या (25 वाहनों के पंजीयन की फोटो प्रति संलग्न करें)	

11	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय संस्था का पंजीयन नम्बर	
12	जी.एस.टी का खाता क्रमांक	
13	आयकर नबंर (पेन कार्ड नम्बर)	
14	विगत तीन वर्ष की ऑडिट बैलेंस शीट (इस निविदा से संबंधित सेवा के लिए टर्नओवर जो रू. 1 करोड़ प्रति वर्ष से कम ना हो) स्टेटमेंट जो सी.ए. द्वारा सत्यापित होना आवश्यकता है। टर्नओवर की कुल राशि	
15	संस्था का अनुभव। अनुभव से संबंधित संस्था का सत्यापित प्रमाण- पत्र संलग्न करें।	संस्था का नाम
16	दर पत्रक	(पृथक निर्धारित लिफाफे में संलग्न करें)

संलग्न :-

1...
2...
3...
4..
5...
6..
7...
8..
9...
10...
11...
12...

प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा उल्लेखित नियमों एवं शर्तो के अधीन किराये के वाहन दिये जाने के लिये संस्था सहमत है।

प्रपत्र-स-एक

वित्तीय ऑफर

सं.क्र.	डीजल वाहन का नाम	न्यूनतम 1000 कि.मी. प्रतिमाह 24/7 के आधार पर एक वर्ष हेतु डीजल/पेट्रोल सहित, चालक, संधारण टैक्स एवं सभी प्रचलित टैक्स सहित मासिक दर		न्यनतम 1000 कि.मी. के पश्चात् प्रति कि.मी. की दर		शहर से बाहर दौरे/भ्रमण पर प्रति कि.मी दर
1	2	3	4	5	6	7
		Without AC	With AC	Without AC	With AC	
01	Indigo ECS के समकक्ष					
02	Ford Eco Sport					

नोट- सरल क्रमांक 3 के अनुसार ही एल-1 का निर्णय लिया जावेगा।

भोपाल -

फर्म मालिक के हस्ताक्षर-
पूरा नाम पता-

दिनांक -

Validate Print Item Wise BoQ Help

Tender Inviting Authority: Principal Revenue Commissioner

Name of Work: किराये के वाहन लिए जाने हेतु

Contract No: PRC/2021/01

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns,

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER
Sl. No.	Item Description	Item Code / Make	Quantity	Units	Without AC न्यूनतम 1000 कि.मी. प्रतिमाह 24/7 के आधार पर एक वर्ष हेतु डीजल/पेट्रोल सहित, चालक, संधारण टैक्स एवं सभी प्रचलित टैक्स सहित मासिक दर To be entered by the Bidder in Rs. P	With AC न्यूनतम 1000 कि.मी. प्रतिमाह 24/7 के आधार पर एक वर्ष हेतु डीजल/पेट्रोल सहित, चालक, संधारण टैक्स एवं सभी प्रचलित टैक्स सहित मासिक दर To be entered by the Bidder in Rs. P	न्यनतम 1000 कि.मी. के पश्चात् प्रति कि.मी. की दर (Without AC)	न्यनतम 1000 कि.मी. के पश्चात् प्रति कि.मी. की दर (With AC)
1	2	3	4	5	7	16	17	18
1	**Vehicle details**							
1.01	Indigo ECS के समक्ष	item1	5.00	Nos				
1.02	Ford Eco Sport	item2	1.00	Nos				
Total in Figures								
Quoted Rate in Words								

ɘlse the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
शहर से बाहर दौरे/भ्रमण पर प्रति कि.मी दर (Without AC)	शहर से बाहर दौरे/भ्रमण पर प्रति कि.मी दर (With AC)	HSN / SAC Code	TOTAL AMOUNT excluding taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT including taxes Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
19	20	10	11	12	13
			0.000	0.000	INR Zero Only
			0.000	0.000	INR Zero Only
			0.000	0.000	INR Zero Only

INR Zero Only